

अध्याय-2

लोकतंत्र क्या और क्यों?

परिचय

पिछले अध्याय में हमने जाना कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है? आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ? प्राचीन भारत में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ? प्राचीन भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा था? एवं आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ? अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की विशेषताएँ क्या हैं? इस अध्याय में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या हो सकती है? इसकी शुरुआत हम बहुत ही सरल परिभाषा से करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक एवं गैर-लोकतांत्रिक सरकार में क्या अन्तर है? लोकतंत्र के व्यावहारिक पक्ष के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को जानेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की न्यूनतम विशेषताएँ क्या होती हैं? यह भी जानने की कोशिश करेंगे और अन्त में लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में आये तर्कों के साथ आगे बढ़ते हुए लोकतंत्र के व्यापक अर्थ पर आयेंगे।

लोकतंत्र क्या है?

शासन व्यवस्था के स्वरूप कई तरह के हो सकते हैं। एक वैसी शासन व्यवस्था होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। कुछ सरकारें वैसी भी होती हैं जो लोगों द्वारा निर्वाचित न होकर अन्य माध्यमों जैसे तख्तापलट, पारिवारिक परम्परा आदि से स्थापित होती हैं और ऐसी सरकारों के अधिकारी अपने हित

में शासन करते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को गैर-लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है। विश्व में कुछ ऐसी भी सरकारें हैं जिन्हें जानने के बाद हम लोकतांत्रिक एवं गैर-लोकतांत्रिक शासन में अन्तर कर पायेंगे ।

हम, कुछ उदाहरणों के साथ इस तरह की सरकारों की कार्यप्रणालियों पर बारी-बारी से विचार करें। सर्वप्रथम, हम पाकिस्तान को ले सकते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटा कर खुद को देश का 'मुख्य कार्यकारी' घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लोकतंत्र का गला घोट दिया। और 2002 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अपना कार्यकाल पाँच वर्ष के लिए बढ़वा लिया जिसमें व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी एवं गड़बड़ियाँ की गईं। 2002 में उन्होंने संविधान को बदल डाला। बदले हुए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति काफी शक्तिशाली हो गया। मंत्रिपरिषद् के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की निगरानी रखी गई जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास रही। फरवरी 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए जिसमें आशिफ अली जरदारी राष्ट्रपति और यूसूफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन अभी भी उनके समक्ष अनेक चुनौतियाँ खड़ी हैं।

स्पष्ट है कि हम परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने उनका चुनाव नहीं किया। शासन के लिए अन्तिम फैसला लेने की शक्ति सेना के अधिकारियों पर की जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे।

विश्व के प्रायः सभी राजशाही एवं तानाशाही शासन व्यवस्थाओं में ऐसा ही होता है। नेपाल में वर्तमान शासन व्यवस्था के पूर्व राजशाही-शासन व्यवस्था थी जहाँ शासक का चुनाव नहीं होता था बल्कि राजपरिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। यहाँ भी शासन संचालन में आम लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी।

कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था अपनाने वाले चीन में भी शासन में आम लोगों की भागीदारी समान रूप से नहीं होती है। चीन की संसद के लिए प्रति पाँच वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। संसद ही राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। लेकिन संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। इसलिए देश के लिए महत्वपूर्ण फैसलों में जनता की भागीदारी न होकर कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी होती है।

हमने पाकिस्तान, नेपाल और चीन की सरकारों के तौर-तरीकों को देखा। अब भारत एवं ब्रिटेन की सरकार के तौर-तरीकों को देखेंगे। भारत एवं ब्रिटेन में सरकार का निर्माण चुनावों के माध्यम से होता है। इसके लिए प्रत्येक पाँच वर्ष पर चुनाव होते हैं जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक अपना वोट (मत) देते हैं। इस तरह के चुनाव में जिसे सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं वे चुनाव जीत जाते हैं। वे देश के लोगों के प्रतिनिधि कहलाते हैं और वे लोग ही सरकार का निर्माण करते हैं और शासन के संचालन में भागीदारी निभाते हैं।

अब हम समझ सकते हैं कि लोगों की भागीदारी वाली सरकार लोकतांत्रिक कहलाती है और जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती है वह गैर लोकतांत्रिक होती है।

कहाँ पहुँचे? क्या समझे?

अब्दुल जब शाम अपने बैठका पर दादा के पास गया तो वहाँ देखा कि बहुत से लोग बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं- करीम के पापा बोल रहे हैं कि पिछले चुनाव में मेरा वोट किसी दूसरे व्यक्ति ने दे दिया था। रमेश भैया बोल रहे थे कि मैंने तो दो वोट दिये थे एवं गणेश के चाचा कह रहे थे कि वोटर-लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था। इन बातों को सुनकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग क्यों वोट देते हैं और वोट देने के क्या फायदे हैं?

लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा

हमने इसके पहले लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकारों के संबंध में जानकारीयाँ प्राप्त कीं। आइये, अब हम लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा जाने। लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। इन चुनावों में देश के वयस्क लोग अर्थात् जिनकी उम्र 18 वर्ष, से अधिक है वोट डालते हैं और योग्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनकर शासन का संचालन करते हैं। अतएव हम सरल भाषा में लोकतंत्र की परिभाषा दे सकते हैं। इस संदर्भ में लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं।

वास्तव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन का केन्द्र बिन्दु होते हैं। इस बात को हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति **अब्राहम लिंकन** की परिभाषा समझ सकते हैं। उनके अनुसार “लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है।” यह परिभाषा बहुत ही सरल ढंग से लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन को व्यवस्था में अन्तर कर देती है। हमने यहाँ देखा कि जहाँ पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ की

सरकार एवं म्यामांर के सैनिक शासक का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। इस तरह के शासन-व्यवस्था वाले देशों में जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, वे देश का शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी नहीं रही। यही बात नेपाल की राजशाही शासन पर भी लागू होती थी। इसके पहले हमने देखा की नेपाल में वर्तमान शासन-व्यवस्था के पूर्व राजशाही शासन-व्यवस्था थी वहाँ शासक का चुनाव नहीं होता था बल्कि राजपरिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। हम समझ सकते हैं कि इन देशों की शासन को लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। ऐसी स्थिति में हम यह समझ सकते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में स्वयं भाग लेते हैं और शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी रहती है। इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं एवं कानून का निर्माण भी स्वयं करते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है।

कहाँ पहुँचे? क्या समझे?

रमेश ने स्कूल से घर आकर अपने पिताजी से बोला कि कल मेरा स्कूल बंद है, क्योंकि कल मेरे स्कूल में अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि आ रहे हैं और वे भाषण देंगे। उनके भाषण सुनने के लिए काफी भीड़ रहेगी। आप बताएँ कि जब भाषण सुनने के लिए इतने लोग एक साथ बैठ सकते हैं तो साथ-बैठकर शासन के लिए फैसला क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए प्रतिनिधि चुनने की क्यों आवश्यकता पड़ी?

लोकतंत्र की विशेषताएँ

अब तक हमने लोकतंत्र के एक सामान्य अर्थ के संदर्भ में यह जानकारी

पायी कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें लोग शासकों का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र की इस परिभाषा को समझने के बाद कुछ प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होते हैं। जैसे-शासक कौन है? शासकों का चुनाव कैसे होता है? शासकों के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं? किस तरह की सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे?

आइए, इन सब प्रश्नों के उत्तर लोकतंत्र की विशेषताओं के माध्यम से जानने का हम प्रयास करें।

हम सभी लोग देखते हैं कि चुनाव के दिन हमारे परिवार के सदस्य जो वयस्क हैं, वोट डालने जाते हैं। ये लोग अपने अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करते हैं, सरकार के लिए फैसले लेते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। यहाँ हमें एक बात समझ लेना आवश्यक है कि लोगों के वोट से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अर्थात् इन प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया फैसला लोगों का फैसला होता है। अतः हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में अन्तिम शक्ति जनता में निवास करती है। जो लोकतंत्र की एक विशेषता है।

हमारे परिवार के सदस्य जब अपना वोट डालने गये तब बहुत से लोग अपना-अपना वोट डालने के इंतजार में खड़े थे। उनमें कुछ लोगों ने अपनी इच्छानुसार वोट डाले जब कि अन्य लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध वोट डालने पर मजबूर किया गया। जहाँ कहीं भी इस तरह के वोट डालने की व्यवस्था होती है वहाँ लोकतंत्र नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में बिना किसी डर, भय एवं प्रलोभन के अपने इच्छानुसार वोट डाला जाता है। अतः हम लोकतंत्र के एक विशेषता में कह सकते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होते हैं।

हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का सीधा संबंध मताधिकार से जुड़ा हुआ है। अब इस बात को लगभग पूरी दुनिया मान चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत

से ऐसे देश हैं जहाँ व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित किया गया है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है तथा फिजी के मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है।

हमें यह समझना है कि जहाँ सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है वहाँ लोकतंत्र कभी नहीं हो सकता। अतः लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सभी वयस्क लोगों के समान रूप से वोट देने का अधिकार मिले और सभी लोगों के वोट का महत्व बराबर हो। यह भी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

लोकतंत्र में संविधान के अनुसार देश का शासन चलता है न कि किसी खास व्यक्ति या संस्था के अनुसार संविधान की भावना के खिलाफ कोई कानून

खुद करें, खुद सीखें

अपने क्षेत्र के मुखिया जी या वार्ड सदस्यों से पूछें कि आपके पंचायत या वार्ड में इस महीने लोगों की बैठक कितनी बार हुई और इस बैठक में कितने लोगों ने अपने-अपने विचार रखे?

बनते हैं तो क्या न्यायपालिका ऐसे कानून को समाप्त कर सकती है? लोकतंत्र में लोगों की बुनियादी अधिकारों की गारंटी होती है। लोगों को सोचने की, अपनी विचार देने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, राजनैतिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून के नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन्हीं सब अधिकारों की

रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जिनके आदेशों का पालन हम सब लोग करते हैं। इस प्रकार हमलोग समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। सरकार अपने कार्यों एवं दायित्वों का संचालन निर्धारित तौर-तरीकों के आधार पर करती है। सरकार कोई भी फैसला लम्बे विचार विमर्श के बाद लेती है। सरकारी सेवकों की जिम्मेदारियाँ संविधान द्वारा

तय की जाती हैं और वे सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र की एक विशेषता के रूप में हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में शासन कानून के अनुसार चलता है। लोगों के अधिकारों की गारंटी होती है और सरकार संवैधानिक कानूनों के भीतर ही काम करती है।

हमने देखा की वर्ष 2005 में बिहार के लिए चुनाव हुए जिसमें वयस्क लोगों ने अपना-अपना वोट दिये। उसी वोट से विधान सभा के लिए प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आये। अब उसके बाद हमने देखा की श्री नीतिश कुमार की सरकार बिहार में बनी। हमलोग जानते हैं कि सरकार उसी की बनती है जिसका विधान सभा में आधे से अधिक प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त होता है अर्थात् बहुमत प्राप्त होता है। मतलब यह हुआ कि शासन उसी की होती है जिसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है (इस संबंध में विस्तार से अध्याय-5 में पढ़ेंगे)। अतः लोकतंत्र की एक विशेषता यह भी है कि **लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है।**

हम देखते हैं कि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तब लोग विभिन्न तरह के झंडे एवं बैनर लेकर चुनाव प्रचार करते हैं। ये विभिन्न तरह के झंडे विभिन्न दलों के होते हैं। जैसे-पंजा छाप-कांग्रेस पार्टी का, कमल छाप भारतीय जनता पार्टी का, लालटेन छाप राष्ट्रीय जनता दल का, तीर छाप जनता दल युनाइटेड का आदि। ये सभी दल मतदाता को अपनी ओर लामबंद करने और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। विभिन्न दलों के नेता अपने-अपने चुनावी कार्यक्रमों एवं भाषणों के माध्यम से अपनी अपनी नीतियाँ लोगों के सामने रखते हैं। देश के लोग उनके भाषण एवं विचारों को सुनकर अपनी इच्छानुसार मतदान करते हैं। उस समय मतदाता के समक्ष विभिन्न दलों का विकल्प होता है। जहाँ कहीं भी बहुदलीय व्यवस्था नहीं है वहाँ लोकतंत्र नहीं हो सकता।

इस अध्याय के शुरू में हमने लोकतंत्र की सरल परिभाषा की बात की थी और बताया था लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव

लोग करते हैं। इस परिभाषा के आधार पर अनेक उदाहरणों द्वारा लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को समझा जा सकता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें-

- लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सारे फैसले लेते हैं।
- चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होते हैं।
- चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित तौर-तरीकों एवं नियमों के अन्दर ही कार्य करती है और सरकार लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखती है।
- चुनाव में अनेक दलों की भागीदारी होती है जिनके कारण लोगों के पास शासकों को बदलने का विकल्प और अवसर उपलब्ध होते हैं।

कहाँ पहुँचे? क्या समझे?

चुनाव के समय विभिन्न झंडे एवं पताकों से लदी गाड़ियाँ विभिन्न तरह के गाने बजाते हुए गाँव-मुहल्लों में घूमती रहती हैं। यह देखकर-सुनकर मन खुश हो जाता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि विभिन्न पार्टियों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ने से लोगों को क्या फायदा है?

लोकतंत्र ही क्यों?

हमलोगों ने प्रथम अध्याय एवं इस अध्याय में जाना कि शासन के अनेक रूप हैं, जैसे- सैनिक शासन, तानाशाही शासन, राजशाही शासन, कम्युनिष्ट शासन एवं लोकतांत्रिक शासन आदि। हमलोगों को यह जानकर खुशी होगी कि इन सभी शासनों में लोकतांत्रिक शासन को अन्य सभी शासनों से अच्छा शासन माना गया है। आज दुनियाँ के देशों में लोकतांत्रिक शासन अपनाने की होड़ मची हुई है। लेकिन अब हमारे सामने एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा शासन क्यों है? हमें इस प्रश्न को समझने के लिए लोकतंत्र के गुण एवं दोष अर्थात् इसके पक्ष एवं विपक्ष में उत्पन्न तर्कों को समझना होगा।

कहाँ पहुँचे? क्या समझे?

हमलोग दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं एवं रेडियो के माध्यम से सुनते हैं कि संसद में एवं राज्यों विधानमण्डलों में किसी भी मुद्दे पर काफी गरमा-गरम बहस होती है। आखिर बहस क्यों होती है? इससे क्या लाभ होता है।

लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क

हमलोग जब लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शासन की चर्चा करते हैं तब लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क सामने आते हैं। लोकतंत्र के विरोधी यह तर्क देते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में अनपढ़ एवं गैर जिम्मेदार लोगों की संख्या ज्यादा होती है। इससे इनके वोट को महत्व देने से शासन की गुणवत्ता कम हो जाती है।

लोकतंत्र में सत्ता की लड़ाई और सत्ता का खेल चलता रहता है। इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं रह जाती है और इसके अंतर्गत सिर्फ सत्ता हथियाने

का प्रयास किया जाता है। इससे लोगों के साथ-साथ देश की काफी क्षति पहुँचती है।

लोकतंत्र में फैसला लेने की प्रक्रिया कठिन होती है। फैसला लेने के पहले काफी वाद-विवाद, बहस एवं चर्चा होती है जिससे किसी भी निर्णय पर पहुँचने में दिक्कत होती है।

लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क यह भी है कि यह काफी खर्चीला शासन है, क्योंकि इसमें होने वाले चुनावों में काफी खर्च आता है। एक अन्य आरोप यह भी है कि लोकतंत्र भ्रष्ट नेताओं के हाथ का खिलौना बन जाता है लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनकी सहानुभूति बटोरकर सत्ता प्राप्त कर लेते हैं

यहाँ हमारे सामने लोकतंत्र के खिलाफ अनेक तर्क आये हैं। हम यह भी समझ सकते हैं कि अभी तक लोकतंत्र ने समस्याओं को समाप्त करने संबंधी कोई तौर-तरीका विकसित नहीं कर पाया है। लोकतंत्र ने न तो आशंका को समाप्त कर पाया है और न ही गरीबी मिटाई है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होती है। फैसला लेने में देरी के साथ-साथ गलतियाँ भी होती हैं। लेकिन सभी फैसले गलत नहीं होते।

अतएव इन बातों से लगता है कि लोकतंत्र एक आदर्श शासन नहीं है। फिर भी हमारे सामने जितने भी शासन हैं, उन सभी में लोकतंत्र ही बेहतर शासन प्रतीत होता है।

लोकतंत्र के पक्ष में तर्क

इस चर्चा में हमलोग मुख्यरूप से दो बातों को समझने का प्रयास करेंगे। **प्रथम**-यह कि लोकतंत्र अन्य शासनों से बेहतर क्यों है? **दूसरा** यह कि लोकतंत्र के कौन-कोन से गुण हैं? इन सवालों का हल एक एक उदाहरण से करेंगे-चीन में 1958-61 के दौरान भयंकर अकाल पड़ा। यह अकाल विश्व इतिहास का अब तक सबसे भयावह अकाल था। इसमें करोड़ों लोग भूख से मरे। ठीक ऐसी ही तरह की भयावह स्थिति वर्ष 2008 के अगस्त-सितम्बर महीने में उत्तरी

बिहार में बाढ़ जैसे प्रलय की थी जिसमें करोड़ों-अरबों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। लाखों लोग तबाह हुए। हमारे सामने दो तरह के शासन वाले देशों में दो तरह की स्थिति है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण बिहार की प्रलय से जल्द ही निजात पा लिया गया जबकि चीन में उक्त अकाल से निजात पाने में काफी समय लग गया। इस संबंध में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ी त्रासदी नहीं हुई क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है। वहाँ मजबूत विपक्षी दल होते हैं और सरकार की आलोचना कर सकने वाला स्वतंत्र मीडिया होता है।

यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन-पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक है। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार लोगों की जरूरतों के अनुसार आचरण करती है। इसके विपरीत गैर लोकतांत्रिक देशों में यह देखा जाता है कि सरकार लोगों की जरूरत के अनुसार अपना आचरण कर सकती है। या नहीं भी कर सकती है। यह सब सरकार चलाने वालों पर निर्भर करता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का पहला गुण है कि लोकतंत्र में शासन अधिक जबाबदेही वाला होता है।

गैर-लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण के लिए सबसे उत्तम शासन-व्यवस्था है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। प्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्व परिचित होते हैं। वे लोगों की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शासन करते हैं। अतः लोकतंत्र में सरकार लोककल्याण के लिए कार्य करती है।

हमलोग जानते हैं कि प्रकृति ने हमें कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे-स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन जीने का आकार आदि। यह अधिकार मानवाधिकार भी कहलाता है (मानवाधिकार की चर्चा अध्याय 6 में की गई है)। इन अधिकारों का उपयोग कर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीन विकास कर सकता है। इस तरह के अधिकार केवल लोकतंत्र में

ही नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। लोकतंत्र में ही सभी व्यक्ति अपने विचारों को रख सकते हैं। समान रूप से राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को बढ़ावा मिलता है। यह लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण है। इस संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि न्यायपालिका निरंतर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका पर नजर रखे रहती है।

लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा एवं बहस होती है। यदि सरकार जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लेती है तो सार्वजनिक चर्चा एवं बहस के द्वारा उसपर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया जाता है, जिससे सरकार के पास इस तरह के फैसलों में सुधार का विकल्प रहता है। यदि सरकार अपने गलत फैसलों को नहीं बदलती है तो लोग सरकार को ही बदल सकते हैं। इसका उदाहरण यह है कि 1975 ई० में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू की थी, जो लोगों के विचार में गलत फैसला था। इस फैसले के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को 1977 ई० के चुनाव में लोगों ने मतदान नहीं किया और श्रीमती गांधी को सत्ता से हटना पड़ा। इस तरह की व्यवस्था गैर लोकतांत्रिक सरकारों में संभव नहीं है। अतः लोकतंत्र में सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका रहता है।

चुनाव के दौरान या आम दिनों में नेताओं का भाषण होते रहता है। इस तरह के भाषणों में नेतागण सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लोगों को बताते हैं जिससे लोग आसानी से समझ लेते हैं कि सरकार की नीतियाँ एवं कार्यक्रम लोगों के हित में हैं या नहीं। यदि सरकार का फैसला लोगों के हित में नहीं होता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। इससे पता चलता है कि लोग अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सजग हैं। हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन है जिसमें लोगों को समय-समय पर राजनीतिक प्रशिक्षण होते रहता है।

अब हमें यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि लोकतंत्र न ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है और न ही उन सभी चीजों को उपलब्ध

कर सकता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र उन सभी दूसरी शासन व्यवस्था से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनियाँ के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध कराता है। इससे लोकतंत्र में लोगों की गरिमा एवं इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज्यादा संभावना है और अलग-अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ-साथ रह सकते हैं। इसमें अपनी इच्छानुसार काम करने और गलती सुधारने की संभावना रहती है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन-व्यवस्था माना जाता है। इन्हीं सब चर्चाओं के आधार पर समझा जा सकता है कि लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं है अपितु लोकतंत्र राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का भी एक प्रकार है।

लोकतंत्र के व्यापक अर्थ

इस अध्याय में हमने लोकतंत्र के बुनियादी बातों की चर्चा की। हमने यह भी देखा कि एक शासन के रूप में लोकतंत्र अन्य शासनों से बेहतर है। कुछ लोकतांत्रिक देशों को छोड़कर सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में सभी लोग शासन-संचालन में भाग नहीं लेते हैं। केवल प्रतिनिधि ही शासन-संचालन में भाग लेते हैं।

अब तक हमने यह समझा कि लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। अब हमें समझना यह है कि लोकतंत्र तो अनेक देशों में है। इन देशों के लोकतंत्र में सामान्य लोकतंत्र और एक बेहतर लोकतंत्र कौन है? क्या सरकार की परिधि से बाहर भी लोकतंत्र है? इन सवालों के समझने के लिए हमें लोकतंत्र के व्यापक अर्थ को समझना होगा। लोकतंत्र के व्यापक अर्थ को समझने के लिए हम उदाहरणों को भी देख सकते हैं— प्रफुल्ल के बड़ी बहन रीती की शादी तय हो गयी है। घर में सभी लोग खुश हैं। रात में घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे हैं। उस बैठक में यह फैसला लेना है कि शादी में कौन-कौन-सी और कैसी व्यवस्था करनी है। सभी लोगों को अपना-अपना विचार रखने का मौका मिलता

है। सभी के विचार सुनने के बाद आपसी सहमति से फैसले लिए जाते हैं कि शादी बेहतर ढंग से हो और किसी चीज की कमी नहीं हो। एक दूसरा उदाहरण है कि दशहरे की पूजा होने वाली है। गाँव में भी दुर्गा पूजा होगी। इसके लिए गाँव के सभी लोग बैठकर अपना-अपना विचार रख रहे हैं। कोई व्यक्ति पूजा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का विचार रख रहे हैं तो कोई व्यक्ति बेहतर पंडाल निर्माण की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि सभी लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं और अन्त में फैसला सभी लोगों के विचार के अनुसार होती है।

उक्त दोनों उदाहरणों में लोकतंत्र के फैसले बुनियादी तौर-तरीके को उजागर करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र केवल सरकार तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसकी पहुँच संगठन, गाँव एवं परिवार तक है। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसका प्रयोग जीवन के किसी क्षेत्र में भी हो सकता है।

कभी-कभी लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के लिए नहीं करके एक आदर्श के लिए प्रयोग करते हैं, जिसको पाने के लिए सभी देश प्रयासरत हैं। एक आदर्श के रूप में लोकतंत्र तभी आयेगा जब देश के कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोयेगा, सभी को वोट का समान अधिकार मिलेगा, सभी को समान रूप से सूचनाएँ उपलब्ध होंगी, बुनियादी शिक्षा सभी को समान रूप से मिलेगी। अगर हम इस आदर्श पर लोकतंत्र को परखेंगे तो लगेगी की दुनियाँ में कहीं भी लोकतंत्र नहीं आ पायेगा। लोकतंत्र में इन्हीं बुनियादी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, जो लोकतंत्र का आदर्श है। जहाँ निष्ठा से इन बुनियादी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है वहाँ अच्छे लोकतंत्र हैं। अतः हम समझ सके हैं कि कामचलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र में क्या अन्तर है।

इस चर्चा को समेटते हुए कहा जा सकता है कि अपने व्यापक अर्थ में लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं वरन् एक नैतिक धारणा तथा सामाजिक परिस्थिति भी है। लोकतंत्र एक सामान्य मनुष्य में निष्ठा पैदा करती है। यह जीवन जीने का एक ढंग के रूप में प्रयुक्त होता है।

प्रश्नावली

1. इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है?
 - (क) लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो।
 - (ख) चुनाव निष्पक्ष हो।
 - (ग) न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो।
 - (घ) सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी हो।
2. आज दुनियाँ में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है?
 - (क) लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को।
 - (ख) सैनिक शासन व्यवस्था को।
 - (ग) कम्यूनिस्ट शासन व्यवस्था को।
 - (घ) राजशाही शासन व्यवस्था को।
3. लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अन्तर किस आधार पर किया जा सकता है?
 - (क) मतदान के अधिकार के आधार पर
 - (ख) बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर
 - (ग) समय सीमा के अन्दर चुनाव होने के आधार पर
 - (घ) सरकार के निर्णय के प्रक्रिया में के आधार पर
4. लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं?
 - (क) जनता
 - (ख) सैनिक
 - (ग) न्यायाधीश
 - (घ) चुनाव आयोग

5. सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है?
 - (क) संसद के हाथ में।
 - (ख) जनता के हाथ में।
 - (ग) सेना या फौज के हाथ में
 - (घ) न्यायाधीशों के हाथ में।
6. वर्ष 2005 में बिहार विधान सभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता-पिता के साथ वोट देने गयी थी। लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बतायें कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है?
 - (क) 20 वर्ष
 - (ख) 21 वर्ष
 - (ग) 18 वर्ष
 - (घ) 16 वर्ष
7. यहाँ आपके सामने कुछ शासन व्यवस्था का प्रारूप है। उनके सामने देशों के नाम हैं जो गलत हैं। आप मिलान कर उसे ठीक करें।
 - (क) लोकतांत्रिक शासन- म्यामांर (वर्मा)
 - (ख) सैनिक शासन - भूटान
 - (ग) कम्युनिष्ट शासन - भारत
 - (घ) राजशाही शासन - चीन
8. यहाँ कुछ पार्टियों के चिह्न हैं और उनके सामने पार्टी का नाम है। जो गलत है आप हमें यह बतायें कि इन चिह्नों के सामने कौन सी पार्टी होगी?
 - (क) पंजा छाप - भारतीय जनता पार्टी

- (ख) कमल छाप - जनता दल यूनाइटेड
- (ग) लालटेन छाप - कांग्रेस पार्टी
- (घ) तीर छाप - राष्ट्रीय जनता दल
9. यहाँ आपके सामने चार तरह के देशों के बारे में सूचनाएँ हैं आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक एवं 'पता नहीं' लिखे
- (क) देश क - जहाँ शासन लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं।
- (ख) देश ख - शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल सेना को है।
- (ग) देश ग - जहाँ पुरुषों के मत का महत्व महिलाओं से अधिक है।
- (घ) देश घ - जहाँ वोट देने का अधिकार सभी लोगों को नहीं है।
10. यहाँ भी चार अन्य देशों के बारे में सूचनाएँ दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। यहाँ भी इनके आगे 'लोकतांत्रिक', 'गैर लोकतांत्रिक' एवं 'पता नहीं' लिखे।
- (क) देश क- चुनाव में एक ही दल के उम्मीदवार खड़े हों।
- (ख) देश ख- स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है।
- (ग) देश ग - धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार है।
- (घ) देश घ - मत देने से बुजूर्गों को रोका गया है।
11. नीचे लोकतंत्र के बारे में कुछ गलत वाक्य हैं हर एक में की गई गलती को पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक कर लिखें-
- (क) लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं।
- (ख) लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला लेता है तो उसे लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं

- (ग) जिन देशों में चुनाव होता है। वहाँ माना जाता है कि वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है।
 - (घ) लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होती है। सरकार फैसला अपने इच्छानुसार लेती है।
 - (ङ) यह कोई आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो।
12. नीचे कुछ वक्तव्य दिए गए हैं। इनमें से किसे लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं और क्यों?
- (क) लोकतंत्र में सभी लोगों का वोट का मूल्य बराबर होता है।
 - (ख) लोकतांत्रिक सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है।
 - (ग) लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा मनमानी करती है।
 - (घ) लोकतांत्रिक देश में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है।
13. नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें कुछ लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक हैं। आप बताएँ कि यह कथन लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक क्यों है?
- (क) भारत सरकार के एक मंत्री ने कहा-संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाये।
 - (ख) मुखिया जो एक बूजुर्ग महिला को वोट देने से इस आधार पर मना कर दिये की वह अनपढ़ थी।
 - (ग) बिहार सरकार ने दलितों के विकास के लिए महादलित आयोग बनाया है।
 - (घ) महिला संगठनों ने संसद में अपनी पूर्ण भागीदारी के लिए आरक्षण की मांग की है।
14. बिहार में एक गाँव ऐसा है जहाँ अभी तक एक भी स्कूल नहीं खुला है। इस गाँव के लोगों ने एक बैठक कर सरकार की ध्यान इस ओर दिलाने के

लिए कई तरीकों पर विचार किया। इसमें कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है और क्यों?

- (क) अदालत में शिक्षा पाने के अधिकार को अनिवार्य एवं मौलिक अधिकार बताते हुए केस दायर किया।
 - (ख) सरकार के खिलाफ जनसभाएँ एवं बैठक की।
 - (ग) अपने गाँव में आये अधिकारियों को बंधक बनाया और अभद्र व्यवहार किया।
 - (घ) अगले चुनाव में मतदान बहिष्कार का फैसला किया।
15. इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों?
- (क) एक नेता जी—इस बार के चुनाव में जो मुझे वोट देगा उसे धोती, साड़ी एवं कम्बल मुफ्त में दिया जाएगा।
 - (ख) मजदूर से किसान— तुम्हारी पत्नी को काम के बदले आधी मजदूरी मिलेगी क्योंकि वह औरत है।
 - (ग) अधिकारियों से कर्मचारी — हमारे काम के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएँ मिलनी चाहिए।

16. वर्ष 2008 के सितम्बर महीने में अखबारों में छपे दो समाचार आपके सामने हैं— प्रथम गुड्डी जो वयस्क लड़की है अपनी इच्छानुसार शंकर से शादी कर ली। शंकर दूसरे जाति का है। इसपर गाँव वालों ने विरोध किया और शंकर के पिता को गाँव वालों ने गाँव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरी खबर यह है कि - अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियाँ बरसायी। इन दोनों खबर पर विचार करें और बतायें कि यह खबर लोकतंत्र के अनुकूल है या नहीं अपने समर्थन में तर्क दीजिए।

16. 26 दिसम्बर 2008 को दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र में एक खबर छपी की - “परमाणु करार के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में धरना, प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर बहस के लिए संसद की बैठक बुलाने की मांग सरकार से की। इस खबर पर विचार करें और बताएँ की विपक्षियों का यह तरीका लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक अपने समर्थन में तर्क दीजिए।

परियोजना कार्य

गाँव एवं मुहल्ले के जानकार लोगों से पूछ कर पता लगायें कि आपके गाँव एवं मुहल्ले में आपके प्रतिनिधि पिछले 5 वर्षों में कितनी बार आये क्यों आये और कौन-कौन से काम किए?